

191

67

3

न्यायालय श्रीमन् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवामण्डल

R5281-II/16

Rs 30/-



श्यामलाल मिश्रा तनय कमलेश्वर प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम डगडौआ
थाना व तहसील मउमंज जिलारावामण्डल आवेदक

बनाम

1. राजेश सिंह पिता श्री इन्द्राज सिंह निवासी डगडौआ,
तहसील मउमंज जिलारावामण्डल

2. शासन मण्डल ————— अनवेदक गण

निगरानी बिबद्ध आदेश तहसीलदार तहसील
मउमंज जिलारावामण्डल प्रकृ 02अ/12/15-16 से
पारित आदेश दिनांक 27.5.16 के बिबद्ध अन्तर्गत
धारा 50 मण्डल अधिनियम के अधीन निगरानी

बी.के.सी. द्वारा आज दिनांक 27.5.16
प्रस्तुत किया गया।
तहसील
सर्किट कोर्ट रीवा

महोदय,

निगरानी के तथ्य :-

यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी नं. 930/2
रकवाण. 105 आरे. एवं आराजी नं. 930/3 रकवाण 0.028 आरे. स्थित ग्राम
डगडौआ, तहसील मउमंज जिलारावामण्डल में स्थित भूमि है जिसके भूमिस्वामी
अवेदक है। उक्त भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु तहसीलदार न्यायालय में
आवेदन प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात मौके पर जाकर सीमांकन की कार्यवाही
की गयी लेकिन बाद में अनवेदक ब्रमांक 1 के झूठे अभिकथनों के आधार पर
सीमांकन की पुष्टि नहीं की गयी और सीमांकन कार्यवाही स्थगित रखे जाने

आवेदन दिया गया, जिससे पीड़ित होकर के निम्न आधारों में यह निगरानी
आवेदन रखा है।

[Handwritten signature]

(67)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 5281- दो/16 जिला..... सीवा.....

..... श्यामलाल मिना विरुद्ध राजेश सिंह

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अनीश त्रिधाख</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील <u>मऊ</u> के प्रकरण क्रमांक <u>02/अ/2/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>27-5-16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-3-19</u> को कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	


सदस्य